

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1001	दुर्ग	श्री टिकम सिंह साहू	प्राचार्य	पू.मा.वि. मडौदा (दुर्ग)	शा.उ.मा.शा. मडौदा जिला खै-छुईखदान-गण्डई

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1002	दुर्ग	श्री जय जय राम देशमुख	प्राचार्य	पू.मा.वि. बासीन (दुर्ग)	शा.उ.मा.शा. कामठा जिला खै-छुईखदान-गण्डई

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1003	दुर्ग	श्री भीखम सिंह सिन्हा	प्राचार्य	पू.मा.वि. सेक्टर-11 (दुर्ग)	शास. हाई. बांकल RMSA जिला राजनांदगांव

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1004	दुर्ग	श्री महावीर चन्द्राकर	प्राचार्य	पू.मा.वि. कोकडी (दुर्ग)	प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम निपानी जिला बालोद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1005	बालोद	श्री नंदकिशोर यादव	प्राचार्य	शा.पू.मा.शा. नेवारीकला	शास. उ.मा. बेसिक बालोद जिला बालोद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्येधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1006	दुर्ग	श्री के. रघुनाथ	प्राचार्य	पू.मा.वि. तिलक कन्या (दुर्ग)	शास.उ.मा.शा. मुसरा जिला राजनांदगांव

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

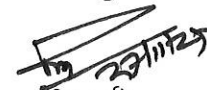
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1007	बालोद	श्री सुशील कुमार निर्मल	प्राचार्य	शा.पू.मा.शा. देवारभाट	शास.उ.मा.वि. बासीन जिला बालोद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1008	दुर्ग	श्री नरेन्द्र कुमार साहू	प्राचार्य	पू.मा.वि. रामनगर (दुर्ग)	शा.उ.मा.शाला मोहभटठा जिला बेमेतरा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1009	दुर्ग	श्री कपूर सिंह देवांगन	प्राचार्य	पू.मा.वि. कोनारी (दुर्ग)	शास. हाई. बुद्धभरदा जिला राजनांदगांव

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वमा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1010	दुर्ग	श्री देवेन्द्र कुमार तिवारी	प्राचार्य	पू.मा.वि. रिसाली (दुर्ग)	शा.हाईस्कूल अचानकपुर जिला दुर्ग

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1011	दुर्ग	श्री मोरध्वज वर्मा	प्राचार्य	पू.मा.वि. चोरहा (धमधा)	शा.हाईस्कूल सोमनी जिला दुर्ग

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

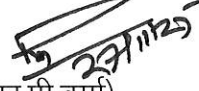
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1012	बालोद	श्री रेणुराम देशमुख	प्राचार्य	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भुरकाभाट	शासकीय हाई स्कूल मुढ़िया जिला बालोद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

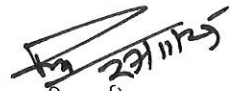
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1013	दुर्ग	श्री मन्त्रुराम पटेल	प्राचार्य	पू.मा.वि. बेलौदी (दुर्ग)	शा. हाई स्कूल सिंधोरी जिला खै-छुईखदान-गण्डई

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

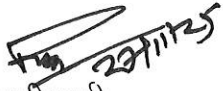
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1014	दुर्ग	श्री मनोज कुमार मडरिया	प्राचार्य	पू.मा.वि. नारधा (धमधा)	शास. उ.मा.वि.टकसीवां जिला बेमेतरा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1015	बालोद	श्री येमन लाल सिन्हा	प्राचार्य	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खेरथाबाजार	शासकीय उ.मा.वि. जेवरतला (रोड़) जिला बालोद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वमी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

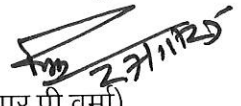
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1016	दुर्ग	श्री द्वारिका प्रसाद देवांगन	प्राचार्य	पू.मा.वि. खुर्सीडीह (दुर्ग)	शा. हाई स्कूल दिलीपपुर जिला खै-छुईखदान-गण्डई

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

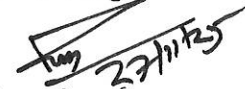
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1017	दुर्ग	श्री फनीन्द्र कुमार गजपाल	प्राचार्य	पू.मा.वि. मोरिद (पाटन)	शा.हाईस्कूल तरागौंदी जिला धमतरी

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1018	दुर्ग	श्री मोरध्वज चन्द्राकर	प्राचार्य	पू.मा.वि. मतवारी (दुर्ग)	शासकीय हाई स्कूल पेन्डरवानी जिला बालोद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1019	दुर्ग	श्री सत्य नारायण साहू	प्राचार्य	पू.मा.वि. तर्रा (पाटन)	शा.हाईस्कूल सिलघट जिला धमतरी

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1020	दुर्ग	श्री राकेश कुमार पाण्डे	प्राचार्य	पू.मा.वि. पुरैना (पाटन)	शास. हाई स्कूल लावातरा जिला बेमेतरा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.व.मी.)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

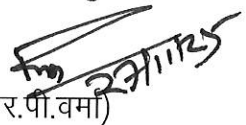
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1021	बालोद	श्री रत्ती राम चंद्राकर	प्राचार्य	संलग्न पू.मा.शा.गुण्डरदेही (शा.उ.मा.शा. गुण्डरदेही)	प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस हिन्दी माध्यम विद्यालय कचान्दुर जिला बालोद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

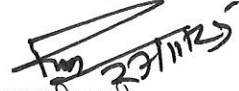
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1022	बालोद	श्री अर्जुन लाल देवांगन	प्राचार्य	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खोलझर	शासकीय उ.मा.वि. खोलझर जिला बालोद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वमा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1023	बालोद	श्री चन्द्रप्रकाश श्याम	प्राचार्य	शास.पू.मा.शाला दुपचेरा	शास.हाई स्कूल मोखा जिला बालोद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1024	बालोद	श्री हुबलाल बोरकर	प्राचार्य	शास. पूर्व वि. शाला खुरसुनी	शासकीय उ.मा.वि. रीवागहन जिला बालोद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1025	बालोद	श्री मन्ना लाल ठाकुर	प्राचार्य	शास.पू.मा.शाला मोखा	शास.हाई स्कूल जगतारा जिला बालोद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1026	बालोद	श्री डेरहा राम ठाकुर	प्राचार्य	शा.पू.मा.शा. बी.मटिया	शास.उ.मा.वि. नारागांव जिला बालोद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1027	दुर्ग	श्री महेश राम मनहर	प्राचार्य	शा.कन्या पू.मा.शाला पाटन	शा.उ.मा.वि. रामपुर जिला धमतरी

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

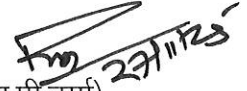
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1028	बालोद	श्री गुलाब चंद नायक	प्राचार्य	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मनकी ना	शासकीय उ.मा.वि. संजारी जिला बालोद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

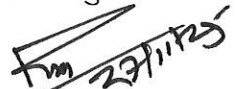
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1029	बालोद	श्री जगदीश तारम	प्राचार्य	शास.पू.मा.शाला बालक सोरर	शास. हाई स्कूल पेंवरो जिला बालोद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1030	बालोद	श्री मुरली राम भुआर्य	प्राचार्य	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला परसाडीह ज	शासकीय हाई स्कूल कोचेरा जिला बालोद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

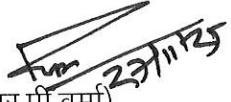
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1031	बालोद	श्री मनोज कुमार ठाकुर	प्राचार्य	शास. पूर्व वि. शाला तमोरा	शा.उ.मा.वि. सिलौटी जिला धमतरी

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1032	दुर्ग	श्रीमती प्रतिभा मौर्य	प्राचार्य	पू.मा.वि. डबरापारा (पाटन)	शा.उ.मा.वि. केसरा जिला दुर्ग

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वमा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1033	बालोद	श्री संतोष कुमार महिलार्गे	प्राचार्य	शास. पूर्व वि. शाला रनचिरई	शा.उ.मा.वि. भेण्डरा जिला धमतरी

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1034	दुर्ग	श्रीमती नीतू बागडे	प्राचार्य	पू.मा.वि. बोडेगांव(दुर्ग)	शा.हाईस्कूल करेली(द) जिला दुर्ग

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वमा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1035	बालोद	श्रीमती गिरजा केराम	प्राचार्य	शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला किसना	शासकीय उ.मा.वि. फरदफोड़ जिला बालोद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1036	बालोद	श्री बालसिंह मंडावी	प्राचार्य	शास.पू.मा.शाला कन्या सोरर	शास. हाई स्कूल सोहपुर जिला बालोद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

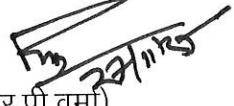
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1037	दुर्ग	श्री सुरेश कुमार शिवारे	प्राचार्य	पू.मा.वि. नंदनीखुंदनी (धमधा)	शा.उ.मा.वि. माटरा जिला दुर्ग

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1038	बालोद	श्री भागसिंह सोम	प्राचार्य	शास. पूर्व वि. शाला मोंगरी	शा.उ.मा.वि. मोहेरा जिला धमतरी

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1039	गरियाबंद	श्री सूर्या राम मेरिया	प्राचार्य	शास. पू.मा.शाला गंगराजपुर	शासकीय उ.मा.वि. सहगांव जिला बालोद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1040	गरियाबंद	श्री गणपत राम कश्यप	प्राचार्य	शास. पू.मा.शाला गोहरापदर	शास.उ.मा.वि. सीनापाली जिला गरियाबंद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

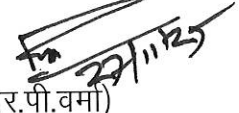
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1041	रायपुर	श्री संजीव बल्लाल	प्राचार्य	शास.उ.मा.वि.मठपुरैना (शास.पूर्व माध्य.शाला मठपुरैना)	शा.उ.मा.वि. मंडेली जिला धमतरी

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1042	रायपुर	श्री बालमुकुंद यदु	प्राचार्य	शास.पूर्व माध्य.शाला पी.जामगांव	शा.उ.मा.वि. करगा जिला धमतरी

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

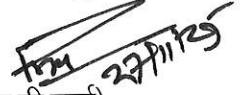
अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1043	गरियाबंद	श्री धमेन्द्र सिंह ठाकुर	प्राचार्य	शास. पूर्व मा. शाला नवीन कोपरा	शास. हाईस्कूल सुरसाबांधा जिला गरियाबंद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1044	रायपुर	श्री पुनाराम वर्मा	प्राचार्य	शास.पुर्व माध्य.शाला कुन्दरू	शास.उ.मा.वि. अल्दा जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

-: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1045	रायपुर	श्री उपेन्द्र कुमार साहू	प्राचार्य	शास.पूर्व माध्य.शाला बोरियाखुर्द	शा.हाईस्कूल कोलियारी जिला धमतरी

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1046	रायपुर	श्री मलखम वर्मा	प्राचार्य	शास.पूर्व माध्य.शाला खम्हारडीह	शा.उ.मा.वि.ससहा जिला ब.बा.-भाटापारा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

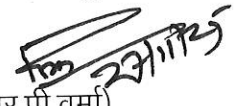
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1047	ब.बा.- भाटापारा	श्री लोमश कुमार साहु	प्राचार्य	शा.पूर्व मा.शा.हिरमी	शा.उ.मा.वि. रावन जिला ब.बा.-भाटापारा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1048	रायपुर	श्री मोहित कुमार वर्मा	सहायक प्राध्यापक	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय मोवा, रायपुर (स्वामी आत्मा.उ.शास.हिन्दी पूर्व माध्य.शाला मोवा)	प्रतिनियुक्ति पर, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रायपुर में सहायक प्राध्यापक जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।
4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1049	रायपुर	श्री रविशंकर साहू	प्राचार्य	शास.पूर्व माध्य.शाला गोबरा नवापारा	शास. हाईस्कूल रावड़ जिला गरियाबंद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

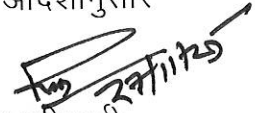
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1050	गरियाबंद	श्री नारायण लाल सेन	प्राचार्य	शास. पूर्व मा. शाला बेलटुकरी	शास. उ.मा.शाला परसदाजोशी जिला गरियाबंद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1051	रायपुर	श्री चंद्रकांत शर्मा	प्राचार्य	शास.पूर्व माध्य.शाला कबीरनगर रायपुर	शास.हाईस्कूल उरकुरा जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1052	रायपुर	श्री योधन सिंह देवांगन	प्राचार्य	शास.पूर्व माध्य.शाला तांदुल	शा.हाईस्कूल नांदगांव जिला महासमुन्द

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1053	रायपुर	श्री पुनीतराम यादव	प्राचार्य	शास.पूर्व माध्य.शाला सेमरिया (नरदहा)	शा.हाईस्कूल खरतौरा जिला ब.बा.-भाटापारा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1054	रायपुर	श्री शिरोमणी चंद्राकर	प्राचार्य	माधव राव सप्रे शास.पूर्व माध्य.शाला बुढ़ापारा	शा.उ.मा.वि. बुड़ेनी जिला धमतरी

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

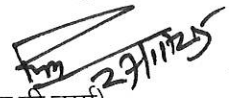
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1055	रायपुर	कुमारी सुशीला वर्मा	प्राचार्य	शास.पूर्व माध्य.शाला खरोरा	शास. हाईस्कूल मांठ जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

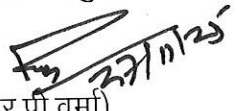
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1056	रायपुर	श्री प्रकाश कुमार साहू	प्राचार्य	शास.पूर्व माध्य.शाला गुमा	शा.हाईस्कूल संकरी (को.) जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1057	रायपुर	श्री चुड़ामणी साहू	प्राचार्य	शास.उ.मा.वि. संकरी	शा.हाईस्कूल भैसबोड़ जिला धमतरी

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1058	रायपुर	भुनेश्वरी वर्मा	प्राचार्य	शास.पूर्व माध्य.शाला पु.ब. तिल्दा	शास. हाई स्कूल ताराशिव जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1059	रायपुर	श्री शेषनारायण शर्मा	प्राचार्य	पं.राम सहाय मिश्रा शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय मोहबा बाजार, रायपुर (शास.पूर्व माध्य.शाला कोटा मोहबाबाजार)	शा0उ0मा0शा0 सिलतरा, रायपुर जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।
4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

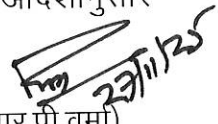
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1060	गरियाबंद	श्री शिव प्रसाद तिवारी	प्राचार्य	शास. पूर्व मा. शाला हथखोज	शास. हाई स्कूल पसौद जिला गरियाबंद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1061	रायपुर	श्री नीलकंठ वर्मा	प्राचार्य	शास पूर्व माध्य.शाला खोखोपारा	शास.हाईस्कूल कन्या चरौदा जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:—

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1062	रायपुर	श्री विनोद कुमार चंद्राकर	प्राचार्य	शास.पूर्व माध्य.शाला बैहार	शा.हाईस्कूल चिखली जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1063	गरियाबंद	श्री रामनारायण मिश्रा	प्राचार्य	शास. पूर्व मा. शाला भेसातरा	शास. उ.मा.वि. बिजली जिला गरियाबंद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1064	रायपुर	श्री लक्ष्मुराम निषाद	प्राचार्य	शास.पूर्व माध्य.शाला तिलकनगर	शा.उ.मा.वि. भाठागांव जिला धमतरी

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1065	रायपुर	श्री योगीराम साहू	प्राचार्य	शास.पूर्व माध्य.शाला खदान क्षेत्र मठपुरैना	शास.हाईस्कूल कोलर जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1066	रायपुर	श्रीमती सुनीता ठाकुर	प्राचार्य	शास.पूर्व माध्य.शाला झुण्डा	शास.हाईस्कूल झुण्डा जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

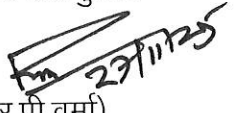
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1067	रायपुर	श्री तुलाराम वर्मा	प्राचार्य	शास.पूर्व माध्य.शाला गैतरा	शास. हाई स्कूल भिंभौरी जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1068	रायपुर	श्री नोहरलाल धीवर	प्राचार्य	शास.पूर्व माध्य.शाला नवागांव	शास. उ.मा.वि बोरसी जिला गरियाबंद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1069	गरियाबंद	श्री सोहन लाल सेन	प्राचार्य	शास. पूर्व मा. शाला रोबा	प्रतिनियुक्ति पर, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय फिंगेश्वर जिला गरियाबंद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1070	रायपुर	श्री रमार्शंकर वर्मा	प्राचार्य	शास.पूर्व माध्य.शाला सांकरा	शा.उ.मा.वि.औरेठी जिला ब.बा.-भाटापारा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1071	रायपुर	श्री ज्ञानेश्वर वर्मा	प्राचार्य	शास.पूर्व माध्य.शाला गिरौद	प्रतिनियुक्ति पर, स्वामी आत्मानंद शास.अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय रायखेड़ा जिला रायपुर जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1072	ब.बा.- भाटापारा	श्री सोनचंद वर्मा	प्राचार्य	शा.पूर्व मा.शा.नेवधा	शास. उ.मा.वि. बहेसर जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1073	ब.बा.- भाटापारा	श्री कुमार प्रसाद साहू	प्राचार्य	शा.पूर्व मा.शा.कुथरौद	शा. हाई स्कूल बरडीह जिला ब.बा.-भाटापारा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1074	रायपुर	श्रीमती अर्चना सातदेवे	प्राचार्य	शास.पूर्व माध्य.शाला फुण्डहर	शास.हाईस्कूल आलेखूटा जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1075	रायपुर	श्री देवेद्र अगलावे	प्राचार्य	स्वामी आत्मानंद पूर्व माध्यमिक शाला (हिन्दी मीडियम) लालपुर रायपुर	प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस तुमगांव जिला महासमुन्द

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1076	रायपुर	श्री विनोद कुमार वर्मा	प्राचार्य	शास.पूर्व माध्य.शाला नेवरा क्र.01	शा.उ.मा.वि.केसदा जिला ब.बा.-भाटापारा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

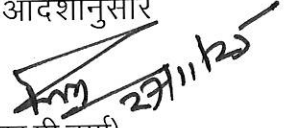
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1077	रायपुर	श्री अंगद कुमार वर्मा	प्राचार्य	अ.आ.शा.पूर्व माध्य.शाला.बिरगांव रायपुर	शास. हाई स्कूल हथमुड़ी जिला बेमेतरा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1078	रायपुर	श्रीमती ईश्वरी पांडे	प्राचार्य	शास.पूर्व माध्य.शाला नवागांव	शास. हाई स्कूल धिवरा जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1079	रायपुर	डॉ.तारा त्रिपाठी	प्राचार्य	पी.जी.उमाठे शा.उ.मा.अंग्रेजी माध्य.वि.शांतिनगर रायपुर	प्रतिनियुक्ति पर, स्वामी आत्मानंद शास.अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय अभनपुर जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

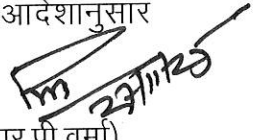
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1080	रायपुर	श्री आशीष कुमार जेम्स	प्राचार्य	शास.पूर्व माध्य.शाला नक्टी	शा.हाईस्कूल अछोटी जिला धमतरी

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1081	गरियाबंद	श्री चन्द भूषण साहू	प्राचार्य	शास. पूर्व मा. शाला भेण्डी (लोहरसी)	शास. हाई स्कूल तरीघाट जिला गरियाबंद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1082	ब.बा.-भाटापारा	श्री चंद्रकांत पाण्डेय	प्राचार्य	शा.पूर्व मा.शा.खण्डुवा	शा.हाई स्कूल कचलोन जिला ब.बा.-भाटापारा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1083	रायपुर	श्री जीवनलाल देवांगन	प्राचार्य	शास.पूर्व माध्य.शाला टण्डवा	शास. हाई स्कूल गुजरा जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1084	ब.बा.- भाटापारा	श्री ज्योतिष राम वर्मा	प्राचार्य	शा.पूर्व माध्य.शाला सेमरिया	शा.उमावि दतरेंगी जिला ब.बा.-भाटापारा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1085	गरियाबंद	श्री निलाम्बर कश्यप	प्राचार्य	शास. पू.मा.शाला करचिया	शास.उ.मा.वि. गोहरापदर जिला गरियाबंद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

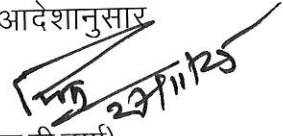
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1086	ब.बा.-भाटापारा	श्री रेशम लाल गेण्डरे	प्राचार्य	सेजेस पूर्व मा.शा.कन्या सिमगा	शा.उ.मा.वि.कामता जिला ब.बा.-भाटापारा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1087	ब.बा.- भाटापारा	श्री दीपक दास कुर्रे	प्राचार्य	शा.पूर्व मा.शा.भटभेरा	शा.उ.मा.वि.भटभेरा जिला ब.बा.-भाटापारा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1088	ब.बा.-भाटापारा	श्री अमोल दास पात्रे	प्राचार्य	शा.पूर्व मा.शा.बनसांकरा	शा.उ.मा.वि.बा. सिमगा जिला ब.बा.-भाटापारा

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1089	रायपुर	श्री भानूराम रात्रे	प्राचार्य	शास.पूर्व.माध्य.शाला नवागांव क 02 अभनपुर	शा.उ.मा.वि. दर्दा जिला धमतरी

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।
4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1090	गरियाबंद	श्री चम्पू लाल घोघरे	प्राचार्य	शास. पूर्व मा. शाला लोहरसी	शास. हाई स्कूल जेंजरा जिला गरियाबंद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1091	रायपुर	श्री खेलन राम जोशी	प्राचार्य	शास.पूर्व माध्य.शाला बिरोदा	शास.हाईस्कूल ठेलकाबांधा जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1092	रायपुर	श्री नरेन्द्र कुमार मेश्राम	प्राचार्य	शास.पूर्व माध्य.शाला बकतरा	शा.उ.मा.वि. अंवरी जिला धमतरी

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1093	रायपुर	श्री शिवकुमार गायकवाड़	प्राचार्य	शास.पूर्व माध्य.शाला जरीद (कलई)	शास.हाईस्कूल बड़गांव जिला महासमुन्द

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

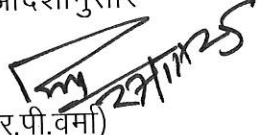
—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1094	गरियाबंद	श्री राजेन्द्र कुमार नाग	प्राचार्य	शा. पूर्व मा. शाला बहेरापाल	शास. हाई स्कूल बकली जिला गरियाबंद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।
4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1095	रायपुर	श्री शिवरतनलाल धिरही	प्राचार्य	शास.पूर्व माध्य.शाला सिलपट्टी	शास.उ.मा.वि. तरपोंगी जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।
4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1096	रायपुर	श्री रामप्रताप ब्रम्हे	प्राचार्य	शास.पूर्व माध्य.शाला नक्टा	शा.उ.मा.वि.भण्डारपुरी जिला रायपुर

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1097	गरियाबंद	श्री मनूलाल शाडिल्य	प्राचार्य	स्वा.आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम विद्यालय झाखरपारा संलग्न (पू.मा.शा झाखरपारा)	शास.उ.मा.वि.माड़ागांव जिला गरियाबंद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1098	गरियाबंद	श्री नरेश चंद टांडिल्य	प्राचार्य	शास.पू.मा.शा. कुम्ड़ाईखुर्द	प्रतिनियुक्ति पर, स्वा.आ.उत्कृष्ट हिन्दी मा.वि.(बालक)उ.मा.वि. देवभोग जिला गरियाबंद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1099	रायपुर	श्री कुमारराम बांधे	प्राचार्य	शास.पूर्व माध्य.शाला केन्द्री	शा.उ.मा.वि. सिरी जिला धमतरी

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.पी.वमा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
cg.school.edu.dept@gmail.com

-: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

क्रं.	जिला का नाम	पदोन्नत प्राचार्य का नाम	पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1100	रायपुर	श्री गुलाब सिंह ध्रुव	प्राचार्य	शास.पूर्व माध्य.शाला छटेरा	शास. हाई स्कूल सिरीकला जिला गरियाबंद

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीनः
प्रतिलिपि:-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

- 1/ प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़, मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर।
 - 2/ निज सहायक, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा, छत्तीसगढ़, मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर।
 - 3/ मुख्य सचिव के अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर।
 - 4/ सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर, अटल नगर।
 - 5/ संचालक, लोक शिक्षण, छ.ग., इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
 - 6/ संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. शंकर नगर, रायपुर।
 - 7/ प्रबंध संचालक, राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा छ.ग.रायपुर।
 - 8/ समस्त कलेक्टर छ.ग.।
 - 9/ समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, छ.ग.।
 - 10/ प्राचार्य, शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रायपुर एवं शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान बिलासपुर, छ.ग.।
 - 11/ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 - 12/ समस्त प्राचार्य डाइट/बाइट छ.ग.।
 - 13/ समस्त जिला कोषालय अधिकारी छ.ग.।
 - 14/ समस्त संबंधित प्राचार्य शा.हाई स्कूल/उ.मा.वि.....छ.ग.।
 - 15/ सर्व संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री/.....छ.ग.।
 - 16/ गार्ड फाईल।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग